

79

न्यायालय (शेखर वर्मा) कलेक्टर जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 74/वी-121/2015-16

: आदेश :

(आज दिनांक 23/06/2016को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार अलीराजपुर का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 28.06.2016 को ग्राम रामसिंह की चौकी (उण्डवा फाटक) तहसील अलीराजपुर में सड़क दुर्घटना में निम्नानुसार मृतको के वारिशान को आर्थिक अनुदान राशि स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

क्र.	मृतक का नाम	वारिशान का नाम	स्वीकृत आर्थिक सहायता
1	केरु पिता कानजी जाति भीलाला निवासी बिलवट	श्रीमति नजरी पति स्व. केरु जाति भीलाला निवासी बिलवट	15,000/-
2	सेकड़िया पिता केरु जाति भीलाला निवासी बिलवट	श्रीमति शारदा पति स्व. सेकड़िया जाति भीलाला निवासी बिलवट	15,000/-
	कुल		30,000/-

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत से सहमत होकर उक्त घायलो को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/ एफ-20-21/2012/1/4 भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता राशि कुल रूपये 30,000/- (तीस हजार रूपये) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या -01-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय-(1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीडित व्यक्तियों को तत्काल वितरित की जावें।

S.D/-
(शेखर वर्मा)

कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर दिनांक.....23/6/2016

पृ0क/434/रीडर/2016
प्रतिलिपि:-

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर। (संलग्न बैंक खाते की छायाप्रति)
- 4 प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कार्यालय अलीराजपुर की ओर अपलोड हेतु।
5. सहायक जनसंपर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर ।
7. तहसीलदार तहसील अलीराजपुर ।

8. -संबंधित श्री/श्रीमति.....तहसील एवं जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ ।

S.D/-

कलेक्टर

जिला अलीराजपुर